भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2797
दिनांक 12 अगस्त, 2026 / 21 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

एएचटीयू (मानव तस्करी निरोधक इकाई) की कार्यात्मक इकाई

2797 श्री संजय यादव:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत मानव तस्करी विरोधी इकाइयां (एएचटीयू) की कुल संख्या कितनी है तथा बिहार राज्य के संबंध में इसका ब्यौरा क्या है;

(ख) एएचटीयू कार्मिकों के विशेषीकृत प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य में प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार एएचटीयू, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, बाल कल्याण समितियों तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) विकसित करने का विचार रखती है; और

(घ) क्या मानव तस्करी संबंधी जांच में अंतर्राज्यीय समन्वय को सुदृढ़ करने के लिए, विशेषकर बिहार जैसे प्रमुख स्रोत क्षेत्रों एवं पारगमन राज्यों के संदर्भ में, कोई ढांचा विद्यमान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री बंडी संजय कुमार)

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उसे सूचित किए गए अपराध संबंधी आंकड़ों, जिनमें स्थापित की गई मानव तस्करी रोधी इकाइयों (एएचटीयू) की संख्या भी शामिल है, का संकलन करता है तथा उन्हें अपने वार्षिक प्रकाशन 'क्राइम इन इंडिया' में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2024 की है। नवीनतम प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कुल 819 मानव तस्करी रोधी इकाइयां (एएचटीयू) स्थापित की गई हैं, जिनमें बिहार में स्थापित 44 एएचटीयू भी शामिल हैं।

(ख): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' "राज्य-सूची" के विषय हैं। अतः एएचटीयू कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु आवश्यक उपाय करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की होती है।

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2797, दिनांक 12.08.2026

मंत्रालय द्वारा, मानव तस्करी के मुद्दे का केंद्रित और प्रभावी ढंग से समाधान करने के उद्देश्य से, इस संबंध में नवीनतम पहलों/गतिविधियों के बारे पुलिस/विधि अधिकारियों को जानकारी प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 'राज्य स्तरीय सम्मेलनों' और 'न्यायिक वार्तालाप' आयोजित करने हेतु सहायता भी प्रदान की जा रही है।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने अपनी दूरस्थ इकाइयों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के एएचटीयू कार्मिकों के लिए विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

(ग) और (घ): 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य सूची के विषय होने के नाते, मानव तस्करी के अपराध की रोकथाम और उससे निपटने की प्राथमिक जिम्मेदारी, जिनमे अंतर्राज्यीय समन्वय तंत्र तथा एसओपी आदि की स्थापना भी शामिल है, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की होती है, जो अपनी आवश्यकता एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप ऐसे मामलों से निपटने के लिए सक्षम हैं। हालांकि, भारत सरकार समय-समय पर जारी विभिन्न एडवाइजरियों के रूप में मानव तस्करी की रोकथाम और उससे निपटने के संबंध में दिशानिर्देश उपलब्ध कराकर इस संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता भी करती है। गृह मंत्रालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित परामर्श दिए हैं:

(i) मानव तस्करी के अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच प्रभावी अंतर-राज्यीय समन्वय के लिए उपयुक्त तंत्र स्थापित किए जाएं।

(ii) मानव तस्करी के अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी राज्य विभागों/स्टेकहोल्डरों के बीच अभिसरण स्थापित किया जाए तथा उसे प्रोत्साहित किया जाए।

(iii) मानव तस्करी सहित बड़े अपराधों के संबंध में सूचना के प्रभावी प्रसार को सुगम बनाने के लिए अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (सीसीटीएनएस) तथा क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर (क्रि-मैक) एप्लिकेशन का पूर्ण उपयोग किया जाए।

मंत्रालय ने क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर (क्रि-मैक) नामक एक राष्ट्रीय स्तर का संचार प्लेटफार्म शुरू किया है, जो पूरे देश में मानव तस्करी के मामलों सहित बड़े अपराधों संबंधी सूचना का सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस अधिकारियों के बीच वास्तविक समय आधार पर प्रसारित और साझा करने की सुविधा भी प्रदान करता है और इस प्रकार मानव तस्करी सहित विभिन्न अपराधों से संबंधित कार्य को देख रहे पुलिस अधिकारियों के बीच अंतर-राज्यीय समन्वय में सक्षम बनाता है।

******